न्यायालय सब जज, कहलगॉव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारी :– अमित कुमार शर्मा

दिवानी वाद संख्या 546/2010

28.09.2022

नीलम देवी बनाम ललीता देवी व अन्य

आदेश

प्रस्तुत वाद प्रतिवादी द्वारा दाखिल तीन आवेदनों सभी की तिथि 01.02.2022 व वादी द्वारा दाखिल तीनों प्रतिउत्तर, तीनों दिनांक 16.02.2022 पर आदेश हेतु नियत है। इन तीनों आवेदनों पर उभय पक्ष को सुना जा चुका है।

प्रतिवादी के तीनों आवेदन एक–दूसरे से संबंधित है व इन आवेदनों को दाखिल करने का कारण वादी द्वारा इस वाद से संबंधित नवीन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष उजागर करना है। प्रतिवादी को कथन यह है कि यह बंटवारा वाद बहस के चरण पर लंबित था। प्रतिवादीगण का यह कथन है कि स्व0 रामदास मंडल अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्र व पुत्रियों को बीच में सम्पत्ति का बंटवारा कर गये थे। प्रतिवादी को पता चला कि मौजा कुशापुर, खाता संख्या 194, खसरा संख्या 528, रकबा 1 एकड़ 68 डिसमिल भूमि को एन0 टी0 पी0 सी0 द्वारा अधिग्रहित किया गया था जिसका सम्पूर्ण मुआवजा राशि को गैर कानूनी तरीके से वादी द्वारा धोखाधड़ी कर कर ले लिया गया, अब कोई भी भूमि शेष नहीं बची है, क्योंकि वादी द्वारा उनका share पहले ही लिया जा चुका है। इसी संबंध में वादी का प्रथम आवेदन सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 11 नियम 1 के तहत प्रतिवादी को कुछ interrogatory (प्रश्नावली) दे कर न्यायालय से यह प्रार्थना करना है कि वादी को यह निर्देश दिया जाए कि उन interrogartories (प्रश्नावली) पर शपथ पर अपना जवाब न्यायालय में दाखिल करें। वादी द्वारा इस आवेदन का प्रतिउत्तर देकर यह आपत्ति दर्ज की गयी है कि अगर प्रतिवादी को अपने कथन पर विश्वास है तो वो वादी के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा कर सकते हैं। विधि के अनुसार प्रतिवादी को अपना कथन स्वयं साबित करना है। इस के साथ ही प्रतिवादी द्वारा वाद की गुण–दोष से संबंधित तथ्यों को प्रतिउत्तर में दिया गया है।

उभय पक्षों को सुनने के उपरांत व अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय यह पाती है कि वाद के उचित न्याय निर्णय हेतु वादी का शपथपत्र से समर्थित interrogartories (प्रश्नावली) का जवाब देना इस वाद के न्याय निर्णय में महत्वपूर्ण होगा। अतः प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार करते हुए वादी को यह निर्देश दिया जाता है कि

interrogartories (प्रश्नावली) के संबंध में शपथपत्र से संबंधित बिन्दु पर स्पष्ट जवाब दाखिल करें।

प्रतिवादी का दूसरा आवेदन इस वाद में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2017 व आदेश दिनांक 10.04.2019 को वापस लेने का है इन आदेश के माध्यम से न्यायालय ने वादी व प्रतिवादी के साक्ष्यों को बन्द किया था। प्रतिवादी का यह कहना है कि प्रतिवादी को वाद से संबंधित कुछ सुसंगत दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जैसे कि L.A. Case no 40/1992 व L.A.Execution Case no 03/2000 में पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त हुई है। अतः इस वाद के उचित न्याय निर्णय हेतु उपरोक्त आदेशों को वापस लें। इन बिन्दुओं पर पुनः साक्ष्य देने की अनुमति व वादी का अग्रतर प्रतिपरीक्षण कराने हेतु भी इन आदेशों को वापस लिया जाए।

प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर में यह आपत्ति की गयी है कि वादी को इस वाद में अग्रतर प्रतिपरीक्षण हेतु बुलाने हेतु कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि प्रतिवादीगण द्वारा कहे गये सभी तथ्य उनके लिखित कथन से परे हैं व विधि के अनुसार उभय पक्ष अपने द्वारा दाखिल अभिवचनों से परे दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सकते। अतः प्रतिवादी का आवेदन खारिज किया जाए।

प्रतिवादी का तीसरा आवेदन इस वाद में वादी को पुनः प्रतिपरीक्षण हेतु गवाह के रूप में रिकॉल करने की प्रार्थना करने हेतु दाखिल किया है इस आवेदन का भी आधार उपरोक्त आवेदनों के अनुसार वादी द्वारा वादभूमि के एन0 टी0 पी0 सी0 द्वारा किये गये अधिग्रहण के पश्चात् सम्पूर्ण मुआवजा राशि को ले लेना है। वादी द्वारा इस आवेदन के प्रतिउत्तर में यह आपत्ति की गयी है कि वादी इस चरण में वादी को पुनः प्रतिपरीक्षण बुलाने हेतु कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी के कथन उनके द्वारा दाखिल लिखित कथन से परे हैं। अतः प्रतिवादी का आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत व अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय यह पाती है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल तीनों आवेदन का आधार L.A. Case no 40/1992 व L.A.Execution Case no 03/2000 में पारित आदेश हैं। जिनके अनुसार अधिग्रहण के बाद सम्पूर्ण मुआवजा राशि को वादी द्वारा ले लिया गया है। न्यायालय यह पाती है कि विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक मामले का निर्धारण गुण–दोष के आधार पर होना चाहिए, उपरोक्त दस्तावेज इस वाद के उचित न्याय निर्णय हेतु सुसंगत

दस्तावेज हैं। अतः प्रतिवादी के तीनों आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि वाद के अंतिम चरण पर यह आवेदन दाखिल किये गये हैं। अतः इन आवेदनों को 600/रु0 खर्चे के साथ स्वीकार किया जाता है, खर्चे की रकम वादी को देंगे।

वाद दिनांक 02.11.2022 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु।

अवर न्यायाधीश
कहलगॉव